

21/11/24

पञ्जावली पेशा हुई अधिवक्ता वादी उक्त
 प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हो चुका है
 अधिवक्ता वादी ने बयान की एवं पुनर्बिन्दु
 जवाब सरकार बाद दिखी मिल जाने का
 निवेदन किया। बयान अधिवक्ता हुनी गई
 पञ्जावली न सिलमन इलाक़ात तथा जवाब
 सरकार दिनांक 11/3/22 का अवलोकन किया गया
 पुनर्बिन्दु जवाब सरकार द्वारा स्वीकार मिल
 जाने योग्य होने से स्वीकार किया गया।
 वदलीपदा अंग को आदेश दिए जाने हैं।
 कि ग्राम सौरखण्डला वदलील अंग में
 खाता संख्या 188 खंड नं 447 रकबा
 0.74 हे० किलो वदीगण का हिल्ला 1/12-1/12
 पुनर्बिन्दु सारखण्ड दिनांक 1/12/24 में वादी रुक

(अंजना सहरावत)
 उपखण्ड अधिकारी अन्त
 जिला बारा (राज०)

1, 2, 3 का नाम है। किन्तु उक्त दस्तावेज,
 गुड्डिगार्ड उक्त रईसा ~~का~~ इन दिना मावे तथा
 नाममा पुगी जुम्मा मिलका नाम सखन ले
 छूट गला का उलका नाम की इन दिना
 मावे। प्रकरण का अवलोकन दिना गला, पककाए
 ने नाममा का नाम दाने नदी' होने का
 उल्लेख नही' दिना है, इलले स्पष्ट होना है
 कि वदिगण स्वच्छ हाथों से न्यायलय
 के समुख नही' काये हैं, इसलिए नामान्तरण
 को 23 दिनांक 13/02/1992 निरस्त दिना
 जाता है, गान सौरखण्ड कलां के खाल संख्या
 नया 188 पुराना 187 के खसरा नं०
 447 रकबा 0.74 हैठ में मुस्लिम ला (personal law)
 के अनुसार पुनः शुद्ध नामों एवं
 छूटी वरिल नामिल का नाम मोड़ने हुए
 पुनः वारिसान की नान्य कर नामान्तरण
 करे हैं। यकी दिकी प्रक से जारी हो।
 निर्णय ले इतनाल पहकर सुनाया गला।
 पजावली मेलम शुमार होकर नम्बर ले कर दी।

(अंजना सहरावत)
 उपखण्ड जजिकारी जला
 जिला बारां (राज०)